राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–43/2017

1. शांति देवी पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तह0 बुहाना
2. रामदत्त पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तह0 बुहाना।

.........वादीगण

बनाम

1. रामोतार
2. रामनिवास
3. मथरासिंह
4. रामसिंह

} पुत्रान रामजीलाल जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर हाल आबाद बालास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

5. इन्द्राज पुत्र भीखाराम जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तह0 बुहाना (मृत्तक)
   - 5/1 सारली पत्नी इन्द्राज
   - 5/2 लालचंद पुत्र इन्द्राज
   - 5/3 जयसिंह पुत्र इन्द्राज
   - 5/4 सुभाष पुत्र इन्द्राज
   - 5/5 संतोष पुत्री इन्द्राज
6. प्रमोद देवी पत्नी रामानन्द

} जाति अहीर लाम्बी अहीर हाल आबाद बालास तहसील बुहाना।

7. मनीष पुत्र रामानन्द
8. निशा पुत्री रामानन्द नाबालिक जरिये माता संरक्षक प्रमोद देवी
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत–घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

दिनांक :–17.03.2021

1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्ब[illegible] Signature Not Verified [illegible]रा नम्बर 1475 रकबा 1.53 है., खसरा नम्बर 1484 रकबा 2.12 है., खसरा न[illegible] 14[illegible] रकबा 1.00 है0, किता 4 कुल रकबा 6.23 है. के वादीगण एवं प्रति[illegible] Digitally signed by Jeetu Kulhari Date: 2021.04.29 14:25:19 IST Reason: SelfAttested [illegible] है । इस भूमि में वादी सं0 1 का 0.69 है0, वादी सं0 2 का 0:87 है0, प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8[illegible] के

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज0)

हकपूर्वाधिकारी रामानन्द का 0.51 है0 रकबा दर हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड है। तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का 1/3, प्रतिवादी सं0 5 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

2. वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2415/1486 रकबा 1.06 है0 के 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी सं 1 से 4 दर्ज है तथा वादी सं0 2 का 1/4 व प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी रामानन्द का 1/4 हिस्सा दर्ज है। रामानन्द की मृत्यु की सन् 2011 में हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 एवं वादिया सं0 1 उसके उत्तराधिकारी है।

3. वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1473 रकबा 2.06 है. में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/4 हिस्सा व वादीगण व प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का हकपूर्वाधिकारी रामानन्द की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 8 ने मौके पर भूमि का पारिवारिक समझौता के अनुसार बंटवारा कर रखा है। एवं बंटवारा किये करीब 35 वर्ष हो चुके है। मौके पर अपनी–अपनी भूमि में लाखों रूपये खर्च कर सुधार कार्य कर रखा है। जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी ने खरीद की है उसका भी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 6 लगायत 8 ने मौके पर परिवारिक समझौता कर रखा है।

4. पक्षकरान ने मौके पर भूमि का विभाजन कर रखा है। दोनो पक्षों के मध्य धारा 251क राज0काश्तकारी अधिनियम मुकदमा लम्बित है। उसमें भी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने खसरा नम्बर 1475 में से इस वाद के वादीगण से रास्ता की मांग की है। अर्थात उन्होने यह स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 1475 पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 कर कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1485 के सम्पूर्ण 1.00 है0 रकबा पर भी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का कब्जा होना स्वीकार किया है। इसी कारण उसने वादीगण से रास्ता मांगा है।

5. वाद वर्णित भूमि का खाता साझे में है लेकिन वादीगण संख्या बल में कम व कानुन एवं न्याय व्यवस्था में विश्वास करते है प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 ने वादीगण के खिलाफ अवैध संगठन बना रखा है। बाहुबली है। तथा प्रभावशाली भी है। प्रतिवादी सं0 1 सरपंच रहा है। तथा बडे नेताओं से सम्पर्क होंने से व पहले से चल रही मुकदमा बाजी की रंजिश से वह वादीगण को तंग परेशान करता है। तथा वादीगण की बाहमी बंटवारा में आई अर्थात वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये गये लाखों रूपये सुधार वाले भाग पर अब प्रतिवादी सं01 लगायत 5 जबरन कब्जा करना चाहते है तथा प्रतिवादी सं0 7 व 8 नाबालिक है प्रतिवादी सं0 6 विधवा है।उनको भयभीत कर अपनी तरफ कर रखा है। अब वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है।

6. वादीगण ने वाद पत्र में दर्ज पारिवारिक समझौता में आई भूमि पर सुधार कार्य कर कुआं मकान आदि बना लिये हैं यदि अब प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण का भारी परेशानी ... वादीगण ने मौके पर अपने कब्जा वाली भूमि पर अर्थात पारिवारिक समझौता के अनुसार ... काश्त के आधार पर प्रतिवादीगण से खाता विभाजन का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 इन्कार हो गये एवं बाहुबल से वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी इसलिए वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बु...
जिला झुन्झुनूं (राज०)

लिए अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने में अपने सुधार कार्यो वाली भूमि लेने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआं है।

7. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम बुहाना, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।

8. यह कि वाद पत्र खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणात्मक रास्ता निर्धारित न्यायालय शुल्क 3 रूपये कोर्ट फिस पर पेश है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1465 रकबा 1.58 है., खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.53 है., खसरा नम्बर 1484 रकबा 2.12 है., खसरा नम्बर 1485 रकबा 1.00 है0, किता 4 कुल रकबा 6.23 है. जिसमें वादी सं0 1 का 0.69 है0, प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का 0.51 है0, वादी सं0 2 का 0.87 है0, दर हिस्सा 1/3 हिस्सा, खसरा नम्बर 2415/1486 रकबा 1.06 है0, में वादी सं0 2 एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 के 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1473 रकबा 2.06 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 6 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा का खाता विभाजित कर वाद पत्र के खण्ड नं0 4 में वर्णित अनुसार विभाज़न मैं भूमि दी जाकर विभाजन कर लगान अलग से कायम कर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने की कृपा करे।

(ख). कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई पाबन्द किया जावे कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.53 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 1485 रकबा 1.00 है0 एवं खसरा नम्बर 2415/1486 रकबा 1.06 है0 के पश्चिम 0.53 है0 रकबा में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग –उपभोग में कोई दखल नही करे, वादीगण को इस भूमि में फसल काश्त करने, काटने , लाटने में कोई बाधा कारित नही करें तथा वादीगण की उपरोक्त भूमि के किसी भी भाग में कब्जानही करे, कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे, इस भूमि में खडे हरे पेडों को नही काटे तथा ऐसा कोई भी कृत्य ना करे, जिससे वादीगण की अपनी भूमि के उपयोग में बाधा कारित होती हो ऐसा कृत्य ना स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करवाये।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 5/1 लगायत 5/5 की ओर से की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बावजुद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:25:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व प्रतिवादी सं. 5/1 लगायत 5 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया कि – जिसमे भूमि के विवरण को स्वीकार किया एवं मौके पर बांहमी बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

होना तो अपने प्रतिदावा में स्वीकार किया लेकिन जो कब्जा वादीगण ने बताया उसको इन्कार कर अलग–अलग खसरा नम्बर पर कब्जा होना उल्लेखित किया एवं बाहमी बंटवारे अनुसार विभांजन का अनुतोष चाहा।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी झुन्झुनूं आदेश दिनांक 17.10.2017 से न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.09.2019 को खारीज कर पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विधि सम्वत् निर्णय पारित करने हेतु एवं दोनो पक्षों की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव मंगाये जाने के लिए निर्देशित किया गया। जिस पर विधि सम्वत् सुनवाई कर दोनों पक्षो को सुना जाकर पक्षकारान ने पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73, नकल नक्शा ट्रेश, नकल विद्युत बिल कुऑ, नकल विद्युत बिल घर पेश किये गये।

(4). दावा खाता एवं लगान विभांजन बाबत दिनांक 04.12.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। जिस पर तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट दिनांक 12.05.2020 पर वादी वकिल की आपतिं दिनांक 03.09.2020 को पेश की गई जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.12.2020 को तहसीलदार बुहाना को पुनः विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया जो दिनांक 04.02.2021 को प्राप्त हुई। इसी दौरान 01.02.2021 को पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया गया।

(5). **पक्षकारान नें राजीनामा पेश किया कि–** वाद वर्णित भूमि में पक्षकारान का आदेश हो चुका है। अब भूमि खसरा नम्बर 1485 एवं खसरा नम्बर 1484 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता कायम किया जायेगा जो रिकॉर्ड में दर्ज किया जावेगा एवं यह रास्ता 4 मीटर चौड़ा कायम किया जायेगा तथा खसरा नम्बर 1485 की पूर्वी मेंड़ के सहारे–सहारे दक्षिण में खसरा नम्बर 1477 के कोने में से होता हुआ खसरा नम्बर 2415 / 1486 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खेत के मध्य तक फिर मध्य से होता हुआ कायमय किया जावेगा तथा यह रास्ता खसरा नम्बर 1475 के मध्य से जाता हुआ खसरा नम्बर 1473 तक रास्ता रहेगा। अर्थात रास्ता विभाजन मे सभी खातेदारो के लिए कायम किया जावेगा एवं खसरा नम्बर 1477 वादीगण के नाम से है यह भूमि उन्ही की खरीद शुदा है एवं प्रतिवादीगण को इसके बाबत कोई आपति नहीं होगी एवं विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाये जाने हेतु आदेश हो चुके है इसलिए दोनो पक्ष सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सहमत है तथा धारा 251(क) राजस्थन कास्तकारी अधिनियम का जो मुकदमा प्रतिप्रेषित हुआ है। उसे भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 व सभी पक्षकार विड्रा करवायेगे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि पक्षकारान का मुताबिक राजीनामा निर्णय किए जाने की कृपा करें।

(6). बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(7). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा डिक्री किया जाने योग्य है। अतः न्यायालय मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है तथा आदेश दिया जाता है कि –

–:: आदेश ::–

वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1465 रकबा 1.58 है., खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.53 है., खसरा नम्बर 1484 रकबा 2.12 है., खसरा नम्बर 1485 रकबा 1.00 है0, किता 4 कुल रकबा 6.23 है. व खसरा नम्बर 2415/1486 रकबा 1.06 है., खसरा नम्बर 1473 रकबा 2.06 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब". के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्व दर्ज किया जावे। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

निर्णय आज दिनांक 17-03-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:25:19 IST
Reason: SelfAttested

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–

जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संः– 43/2017

निर्णय दिनांक :– 17.03.2021

शान्ति देवी आदि **बनाम** रामौतार आदि

दावा बाबत–घोषणात्मक,खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति मे व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4, प्रतिवादी सं. 5/1 लगायत 5/5 की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिती इस वाद में आज तारीख 17.03.2021 को **जीतू कुलहरी उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1465 रकबा 1.58 है., खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.53 है., खसरा नम्बर 1484 रकबा 2.12 है., खसरा नम्बर 1485 रकबा 1.00 है0, किता 4 कुल रकबा 6.23 है. व खसरा नम्बर 2415/1486 रकबा 1.06 है., खसरा नम्बर 1473 रकबा 2.06 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ 1" लगा0 "अ 7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्व दर्ज किया जावे। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। "

खर्चा पक्षक्रारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17.03.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
झुन्झुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.04.29 14:25:19 IST
Reason: SelfAttested